Neutral Citation No. -2012:AHC:66152-DB

न्यायालय सं० - 36

प्रकरण :- विशेष अपील सं० - 484 सन् 2012

याचिकाकर्ता :- कलेक्टर/जिलाधिकारी और एक अन्य

प्रतिवादी :- अर्जुन प्रसाद पटेल

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :- पंकज राय, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता:- ज्ञान बहादुर सिंह पटेल

माननीय न्यायमूर्ति सत्य पूत मेहरोत्रा

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता अग्रवाल

वर्तमान विशेष अपील याचिकाकर्ता-प्रतिवादी द्वारा दायर सिविल मिसलेनियस रिट याचिका सं० 46858 सन् 1999 को अनुमति देने वाले विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 14.11.2011 के विरुद्ध दायर की गई है।

हमने प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए श्री पंकज राय, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद की दलीलें सुनीं।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, इस स्तर पर वर्तमान विशेष अपील का अंतिम रूप से निपटारा किया जा रहा है।

अभिलेख के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को शुरू में वर्ष 1991 में मौसमी संग्रह अमीन के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए राहत का दावा करते हुए इस न्यायालय के समक्ष सिविल मिसलेनियस रिट याचिका सं० 4585 सन् 1998 दायर की थी।

उक्त रिट याचिका का निर्णय इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा दिनांक 11.2.1998 के आदेश द्वारा किया गया था, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कलेक्टर/जिलाधिकारी, इलाहाबाद को याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के मामले पर उत्तर प्रदेश कलेक्शन अमीन्स सर्विस रूल्स, 1974 (1992 में संशोधित) (इसके बाद "1974 के नियम" के रूप में संदर्भित) के आलोक में विचार करने और उक्त दिनांक 11.2.1998 के आदेश में उल्लिखित अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था।

उक्त दिनांक 11.2.1998 के आदेश के अनुसरण में, कलेक्टर/जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने दिनांक 10.7.1998 के आदेश द्वारा यहाँ के याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के प्रत्यावेदन पर निर्णय लिया।

उक्त दिनांक 10.7.1998 के आदेश के अनुसरण में, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, फूलपुर, इलाहाबाद ने दिनांक 25.7.1998 का एक आदेश जारी किया, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को कलेक्शन अमीन के पद पर 3200-4900 के वेतनमान में अस्थायी आधार पर उस रिक्ति पर नियुक्त किया गया था जो सूर्य देव मिश्रा, कलेक्शन अमीन की मृत्यु के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई थी।

उक्त दिनांक 25.7.1998 के आदेश में आगे यह भी कहा गया था कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी की नियुक्ति पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की परिवीक्षा पर होगी।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version : Not for legal use.

इसके बाद, कलेक्टर/जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा पारित दिनांक 5 अक्टूबर, 1999 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था।

यह भी प्रावधान किया गया था कि नोटिस के बदले में, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को एक महीने का वेतन और भत्ते आदि, यदि कोई हो, दिया जाएगा।

उक्त दिनांक 5 अक्टूबर, 1999 के आदेश में उत्तर प्रदेश का उल्लेख किया गया था। अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 (इसके बाद "समाप्ति नियमावली, 1975" के रूप में संदर्भित)।

इसके बाद, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने उपर्युक्त सिविल मिसलेनियस रिट याचिका सं० 46858 सन् 1999 दायर की। याचिकाकर्ता-प्रतिवादी द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रार्थना की गई थी कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने वाले उक्त दिनांक 5 अक्टूबर, 1999 के आदेश को रद्द किया जाए।

एक विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने दिनांक 9.8.2007 के निर्णय और आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका, अर्थात्, सिविल मिसलेनियस रिट याचिका सं० 46858 सन् 1999 को अनुमति दी।

उक्त दिनांक 9.8.2007 के निर्णय और आदेश में विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने इस प्रकार कहा:

"इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता को योग्यता के आधार पर, एक स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया था और यह कि चुनौती दिए गए आदेश में यह संकेत नहीं दिया गया है कि परिवीक्षा की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता का कार्य और आचरण किसी भी तरह से असंतोषजनक पाया गया था, मेरे विचार से, याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने वाले चुनौती दिए गए आदेश को कानून में उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता को संबंधित सेवा नियमों के तहत सक्षम अधिकारियों द्वारा कानून के अनुसार विधिवत नियमित किया गया था, इसलिए, चुनौती दिए गए आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

तदनुसार, यह रिट याचिका अनुमत है। प्रतिवादी सं० *1* द्वारा पारित चुनौती दिया गया आदेश दिनांक *05.10.1999* रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा।

लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।"

इसके बाद, प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं ने विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा पारित उक्त निर्णय और आदेश दिनांक 9.8.2007 के विरुद्ध विशेष अपील (त्रुटिपूर्ण) सं० 141 सन् 2008 के रूप में विशेष अपील दायर की।

उक्त विशेष अपील को खंडपीठ द्वारा दिनांक 18.2.2008 के निर्णय और आदेश द्वारा अनुमत किया गया था। खंडपीठ ने उक्त निर्णय और आदेश दिनांक 9.8.2007 को रद्द कर दिया, और उक्त निर्णय और आदेश दिनांक 18.2.2008 में की गई टिप्पणियों के मद्देनजर पक्षों द्वारा लिए गए अभिवचनों को ध्यान में रखते हुए मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए विद्वान एकल न्यायमूर्ति को वापस भेज दिया।

उक्त दिनांक 18.2.2008 के निर्णय और आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:

"विद्वान स्थायी वकील ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पक्षों द्वारा लिए गए अभिवचनों पर आधारित नहीं हैं, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को वास्तव में वैधानिक नियमों के उल्लंघन में पदोन्नत किया गया था और जब यह नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के संज्ञान में आया, तो दिनांक *21.07.1999* का एक कारण बताओ नोटिस उसे जारी किया गया जिसमें यह बताया गया था कि पदोन्नति कोटा में केवल *17* रिक्तियां थीं और याचिकाकर्ता का नाम मौसमी संग्रह अमीनों की

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वरिष्ठता सूची में क्रमांक *29* पर था। इसलिए, उसे यू.पी. कलेक्शन अमीन की सेवा नियमावली, *1974 (1992* में संशोधित*) (*इसके बाद *"*नियम *1974"* के रूप में संदर्भित*)* के उल्लंघन में नियुक्ति की पेशकश की गई थी, जो पदोन्नति द्वारा *35%* रिक्तियों को भरने का प्रावधान करती है। इसमें आगे यह भी कहा गया है। कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने अपने जवाब में उक्त तथ्यों का खंडन नहीं किया। हालांकि, विद्वान एकल न्यायमूर्ति के समक्ष प्रति-शपथ पत्र के अनुच्छेद *7* की सामग्री पर भरोसा किया गया है।

क्या प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को नियम *1974* के प्रावधानों के उल्लंघन में नियुक्त किया गया था, इस मुद्दे पर विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।

इसे देखते हुए, विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की सुनवाई के बाद हम दिनांक *09.08.207* के निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं और मामले को विद्वान एकल न्यायमूर्ति को वापस भेजते हैं ताकि पक्षों द्वारा लिए गए अभिवचनों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर शीघ्रता से नए सिरे से निर्णय लिया जा सके।"

उक्त निर्णय और आदेश दिनांक 18.2.2008 के अनुसरण में, विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा मामले पर विचार किया गया।

यहाँ के याचिकाकर्ता-प्रतिवादी की ओर से, विशेष अपील (त्रुटिपूर्ण) सं० 85 सन् 2008 में दिनांक 14.12.2009 को पारित एक खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा किया गया था, जिसमें, कलेक्टर/जिलाधिकारी, इलाहाबाद और एक अन्य बनाम राजेंद्र प्रसाद के मामले में, राजेंद्र प्रसाद द्वारा दायर सिविल मिसलेनियस रिट याचिका सं० 46856 सन् 1999 में पारित विद्वान एकल न्यायमूर्ति के निर्णय दिनांक 25.7.2007 को खंडपीठ द्वारा बरकरार रखा गया था।

राजेंद्र प्रसाद (supra) के मामले में पारित उक्त खंडपीठ के निर्णय दिनांक 14.12.2009 पर भरोसा करते हुए, विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने दिनांक 14.11.2011 के निर्णय और आदेश द्वारा उपर्युक्त रिट याचिका, अर्थात्, यहाँ के याचिकाकर्ता-प्रतिवादी द्वारा दायर सिविल मिसलेनियस रिट याचिका सं० 46858 सन् 1999 को सिविल मिसलेनियस रिट याचिका सं० 46856 सन् 1999 (राजेंद्र प्रसाद बनाम कलेक्टर/जिलाधिकारी, इलाहाबाद और एक अन्य) में विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 25.7.2007 के संदर्भ में अनुमत किया, और कलेक्टर/जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा पारित चुनौती दिए गए आदेश दिनांक 5.10.1999 को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता-प्रतिवादी की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था।

इसके बाद, प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं ने ऊपर उल्लिखित राहत की मांग करते हुए वर्तमान विशेष अपील दायर की है।

हमने प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए श्री पंकज राय, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद की दलीलें सुनी हैं, और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए श्री पंकज राय, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि खंडपीठ ने दिनांक 18.2.2008 के निर्णय और आदेश द्वारा उक्त विशेष अपील (त्रुटिपूर्ण) सं० 141 सन् 2008 पर निर्णय लेते समय, विशेष रूप से निर्देश दिया था कि विद्वान एकल न्यायमूर्ति इस मुद्दे पर निर्णय लेंगे कि क्या याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को 1974 के नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में नियुक्त किया गया था।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version . Not for legal use.

यह प्रस्तुत किया गया है कि खंडपीठ द्वारा दिए गए उक्त विशिष्ट निर्देशों के बावजूद, विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने दिनांक 14.11.2011 का निर्णय और आदेश पारित करते समय उक्त मुद्दे पर विशेष रूप से विचार नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने निर्णय और आदेश पर भरोसा किया है। खंडपीठ द्वारा विशेष अपील (त्रुटिपूर्ण) सं० 85 सन् 2008 में दिनांक 14.12.2009 को पारित किया गया था, और यह देखा गया है कि उक्त खंडपीठ ने "इस पहलू पर विचार किया था कि क्या नियुक्ति 1974 के नियमों के अनुसार की गई थी", और उक्त आधार पर, उपर्युक्त सिविल मिसलेनियस रिट याचिका सं० 46858 सन् 1999 को अनुमत किया।

यह प्रस्तुत किया गया है कि राजेंद्र प्रसाद के मामले के तथ्य नियुक्ति की वैधता के प्रश्न के संबंध में याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के मामले के तथ्यों के समान नहीं थे, और विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने विशेष अपील (त्रुटिपूर्ण) सं० 141 सन् 2008 में पारित उक्त निर्णय और आदेश दिनांक 18.2.2008 में खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार याचिकाकर्ता-प्रतिवादी की नियुक्ति की वैधता के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के मामले के तथ्यों पर विचार न करके गलती की।

याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद ने प्रस्तुत किया कि राजेंद्र प्रसाद के मामले के तथ्य याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के मामले के तथ्यों के समान थे, और विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने विशेष अपील (त्रुटिपूर्ण) सं० 85 सन् 2008 में पारित खंडपीठ के निर्णय दिनांक 14.12.2009 पर सही भरोसा किया है।

हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

राजेंद्र प्रसाद के मामले से संबंधित विशेष अपील (त्रुटिपूर्ण) सं० 85 सन् 2008 में पारित खंडपीठ के निर्णय दिनांक 14.12.2009 ने विद्वान एकल न्यायमूर्ति के निर्णय को बरकरार रखा।

खंडपीठ ने माना कि भले ही याचिकाकर्ता (राजेंद्र प्रसाद) को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था, फिर भी उसकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश समाप्ति नियमावली, 1975 के तहत कारण बताओ नोटिस दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता था।

खंडपीठ ने आगे यह भी देखा कि याचिकाकर्ता (राजेंद्र प्रसाद) की सेवाओं की समाप्ति एक सामान्य समाप्ति नहीं थी, क्योंकि प्रतिवादी-अपीलकर्ता-राज्य द्वारा यह बचाव लिया गया था कि उक्त मामले (राजेंद्र प्रसाद) में याचिकाकर्ता की नियुक्ति स्वयं अवैध थी, और इस प्रकार, समाप्ति दंडात्मक प्रकृति की थी।

खंडपीठ ने उक्त निर्णय और आदेश दिनांक 14.12.2009 में यह भी नोट किया कि "याचिकाकर्ता को उप-जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 35% कोटा के तहत, एक स्थायी रिक्ति में उसकी पात्रता और प्रदर्शन पर विचार करने के बाद नियमित किया गया था। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसका प्रदर्शन मानक से नीचे गिर गया था या असंतोषजनक था"।

खंडपीठ ने यहाँ के याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के मामले के संबंध में विशेष अपील (त्रुटिपूर्ण) सं० 141 सन् 2008 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 18.2.2008 में विद्वान स्थायी वकील द्वारा पदोन्नति कोटा में केवल 17 रिक्तियां होने के संबंध में की गई प्रस्तुतियों को नोट किया, जबकि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी का नाम मौसमी संग्रह अमीनों की वरिष्ठता-सूची में क्रमांक 29 पर था, और इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को नियुक्ति का प्रस्ताव 1974 के नियमों के उल्लंघन में था, जिसमें पदोन्नति द्वारा 35% रिक्तियों को भरने का प्रावधान था।

Translated version, not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा की गई उक्त प्रस्तुतियों को नोट करते हुए, खंडपीठ ने दिनांक 18.2.2008 के निर्णय और आदेश में देखा कि विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया था कि क्या याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को 1974 के नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में नियुक्त किया गया था।

तदनुसार, खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 9.8.2007 को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए विद्वान एकल न्यायमूर्ति को वापस भेज दिया।

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि खंडपीठ ने खंडपीठ के समक्ष विद्वान स्थायी वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों के आलोक में याचिकाकर्ता-प्रतिवादी की नियुक्ति की वैधता पर विचार करने का निर्देश दिया था। उक्त प्रस्तुतियां स्पष्ट रूप से रिट याचिका में प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं की ओर से दायर प्रति-शपथ पत्र में किए गए बयानों पर आधारित थीं।

रिट याचिका में प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं की ओर से दायर प्रति-शपथ पत्र और पूरक प्रति-शपथ पत्र से स्पष्ट मुख्य प्रस्तुति, यह प्रतीत होती है कि जबकि पदोन्नति कोटा में केवल 17 रिक्तियां भरी जा सकती थीं, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी, जिसका नाम मौसमी संग्रह अमीनों की वरिष्ठता-सूची में क्रमांक 29 पर था, को कलेक्शन अमीन के पद पर नियुक्ति दी गई थी, जो 1974 के नियमों के विपरीत था।

उक्त राजेंद्र प्रसाद के संबंध में विशेष अपील (त्रुटिपूर्ण) सं० 85 सन् 2008 में पारित खंडपीठ का निर्णय दिनांक 14.12.2009, जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, इस आधार पर आगे बढ़ा कि उक्त मामले में याचिकाकर्ता को उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी पात्रता और प्रदर्शन पर विचार करने के बाद एक स्थायी रिक्ति में 35% कोटा के तहत नियमित किया गया था।

पदोन्नति कोटा की सीमा और उक्त मामले में याचिकाकर्ता की वरिष्ठता-सूची में स्थिति के संबंध में प्रश्नों पर विशेष अपील (त्रुटिपूर्ण) सं० 85 सन् 2008 में पारित उक्त निर्णय और आदेश दिनांक 14.12.2009 में विचार नहीं किया गया था।

वर्तमान मामले में, खंडपीठ ने निर्णय और आदेश दिनांक 18.2.2008 में विशेष रूप से निर्देश दिया कि उक्त पहलू पर विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा मामले को वापस भेजे जाने के बाद विचार किया जाए।

विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 14.11.2011 के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने राजेंद्र प्रसाद के मामले में पारित खंडपीठ के निर्णय दिनांक 14.12.2009 पर भरोसा किया है, और निर्णय और आदेश दिनांक 18.2.2008 में खंडपीठ द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में याचिकाकर्ता-प्रतिवादी की नियुक्ति की वैधता पर विशेष रूप से विचार नहीं किया है।

उपरोक्त को देखते हुए, हम इस राय के हैं कि वर्तमान विशेष अपील को अनुमत किया जाना चाहिए, और तदनुसार इसे अनुमत किया जाता है।

विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 14.11.2011 रद्द किया जाता है।

मामले को विद्वान एकल न्यायमूर्ति के पास वापस भेजा जाता है ताकि विशेष अपील (त्रुटिपूर्ण) सं० 141 सन् 2008 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 18.2.2008 में दिए गए निर्देशों के साथ-साथ इस वर्तमान निर्णय में ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जा सके।

हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आदेश दिनांक :- 20.3.2012

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।